

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 06/2025

दायर दिनांक: 27.02.2025

## उनवान

1. गजेन्द्रसिंह आयु 56 वर्ष पुत्र मोहनसिंह जाति राव
2. रघुवीरसिंह आयु 54 वर्ष पुत्र मोहनसिंह जाति राव
3. शिवराजसिंह आयु 62 वर्ष पुत्र मोहनसिंह जाति राव
4. हेमराजसिंह आयु 48 वर्ष पुत्र मोहनसिंह जाति राव निवासीगण गढी चौक वार्ड नं. 3 कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज.) मो.न. 9587236926

वादीगण

## बनाम

1. कुलदीप सिंह पुत्र शम्भूसिंह जाति राव निवासी गढी चौक वार्ड नं. 3 कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
2. सन्तोषसिंह पुत्र शम्भूसिंह जाति राव निवासी नाकोड़ा कालोनी बारां जिला बारां
3. कैलाश सिंह पुत्र रामसिंह उर्फ विजयसिंह जाति राव
4. दिनेशसिंह पुत्र रामसिंह उर्फ विजयसिंह जाति राव
5. शिवराजसिंह पुत्र रामसिंह उर्फ विजयसिंह जाति राव निवासीगण कवाई हाल निवासी बोरखंडी वार्ड नं. 19 पोस्ट नया नोहरा बारां रोड़ कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.)
6. नरपतसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राव निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां
7. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार, अटरू तहसील अटरू जिला बारां

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 एल० आर० एक्ट व 88 आर०टी०एक्ट  
उपस्थित :—

वादीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री विशाल चौधरी

## निर्णय दिनांक:—16.07.2025

वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 एल0आर0एक्ट व 88 आर0टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कवाई पटवार हल्का कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज.) की वर्तमान खाता संख्या 759 का ख.नं. 2506/519 का रकबा 1.02 है0 वादीगण के तथा खाता संख्या 100 का ख.नं. 2508/519 का रकबा 1.03 है0, ख.नं. 332 (ग्यारह बीघा वाला) का रकबा 1.56 है0 कुल 2 किता का रकबा 2.59 है0 प्रतिवादी क्रम 1 कुलदीप सिंह व प्रतिवादी क्रम 2 संतोष सिंह के तथा खाता संख्या 109 का खसरा नं. 2507/519 का रकबा 0.83 है0 (पश्चिम के मध्य) ख.नं. 2696/333 का रकबा 0.08 है0, ख.नं. 2697/333 का रकबा 0.17 है0, ख.नं. 2729/537 का रकबा 0.41 है0, ख. नं. 2730/537 का रकबा 0.69 है0, ख. नं. 2735/520 का रकबा 0.12 है0 कुल किता 6 का रकबा 2.32 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 3 कैलाश सिंह, प्रतिवादी क्रम 4 दिनेशसिंह, प्रतिवादी क्रम 5 शिवराजसिंह के तथा खाता संख्या 345 का ख.नं. 2722/540 का रकबा 0.79 है0, ख.नं. 2723/540 का रकबा 0.33 है0, ख.नं. 2755/518 का रकबा 0.05 है0, ख.नं. 2756/518 का रकबा 0.32 है0, ख.नं. 314 का रकबा 0.19 है0, ख.नं. 343 का रकबा 0.46 है0, ख.नं. 517 का रकबा 0.02 है0 किस्म गै.मु. देवस्थान, ख.नं. 519 का रकबा 0.54 है0 कुल किता 8 का रकबा 2.70 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 6 नरपतसिंह के दर्ज खाता स्थित है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पूर्व में खाता संख्या 368 का कुल किता 41 का कुल रकबा 32.07 है0 आराजी वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित थी जिसका सहखातेदारान के मध्य राजस्व केम्प कवाई में विभाजन कर दिया गया है जिसके अनुसार वादीगण को ख.नं. पुराने 519 में पूर्व के मध्य का हिस्सा नया ख.नं. 2506/519 का रकबा 1.02 है0 आराजी हिस्सा रिकार्डेड बंटवारे में दिया गया है तथा प्रतिवादी क्रम 2 व 3 को पश्चिम दिशा ख.नं. 2508/519 का 1.03 है0 दिया गया तथा प्रतिवादी क्रम 3 ता 5 को पुराना ख.नं. 519 का नया ख.नं. 2507/519 का रकबा 0.83 है0 पश्चिम के मध्य का दिया गया तथा प्रतिवादी क्रम 6 को पुराना ख.नं. 519 में से 0.54 है0 आराजी हिस्से में बंटवारा कर दर्ज करने के आदेश प्रदान किये थे परन्तु पटवार हल्का ने बंटवारे अनुसार नक्शा तरमीम नही करके गलत नक्शा तरमीम कर दिया है जबकि राजस्व केम्प में बंटवारा सही किया गया था। राजस्व केम्प में हुये बंटवारे अनुसार नक्शा तरमीम नहीं करने से वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बंटवारा अनुसार नक्शा दुरुस्त किया जाना

न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे में खाता संख्या 345 की खसरा नं. 519 का रकबा 0.54 है, खसरा नं. 517 का रकबा 0.02 है, खसरा नं. 2756/518 का रकबा 0.16 है। पूर्व दिशा की भूमि प्रार्थीगण/वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी तथा खाता संख्या 345 का खसरा न. 343 का रकबा 0.46 है., खसरा न. 2756/518 का रकबा 0.16 है., पश्चिम दिशा की भूमि खसरा न. 2755/518 का रकबा 0.05 है। भूमि अप्रार्थीगण कैलाश सिंह, शिवराज सिंह व दिनेश सिंह के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी। खाता संख्या 759 का खसरा नं. 2506/519 का रकबा 1.02 है। भूमि कुलदीप सिंह, संतोष सिंह के कब्जे काशत में चली आ रही है। खाता संख्या 100 का खसरा न. 2508/519 का रकबा 1.03 है। खाता संख्या 109 का खसरा नं. 2696/333 का रकबा 0.08 है। भूमि अप्रार्थी नरपत सिंह के कब्जे काशत में चली आ रही है। बंटवारा अनुसार रकबा दर्ज करने से तथा उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के दर्ज हिस्सा में से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के हिस्से की आराजी में से सड़क परिवहन विभाग द्वारा कुछ भूमि सड़क हेतु अवाप्त कर ली गई जिसकी मुआवजा राशि भी प्रतिवादी क्रम 1 व 2 प्राप्त कर चुके हैं परन्तु अभी भूमि अवाप्ति का नोट राजस्व जमाबन्दी में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के अंकित नहीं हुआ है। राजस्व केम्प में हुये बंटवारे में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के दिशा अंकित होने के बावजूद आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने नक्शा तरमीम करने की त्रुटि की है जिसे दुरस्त करने हेतु वादीगण ने दिनांक 29/01/2025 को प्रतिवादी क्रम 7 तहसीलदार महोदय अटरू से निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी। राजस्व केम्प में हुये सही बंटवारे अनुसार नक्शा तरमीम करवाने हेतु वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 सहमत है तथा पक्षकारो को नक्शा दुरस्त करने में कोई आपत्ति नही है। इस बाबत पक्षकारान माननीय न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत करने को तैयार है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का नक्शा तरमीम किया जाना सम्भव नहीं है। यदि वादीगण के राजस्व केम्प में हुये बंटवारे अनुसार नक्शा तरमीम नही किया गया तो वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है। अतः वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के राजस्व केम्प में हुये बंटवारे अनुसार उसमें दर्ज दिशा अनुसार नक्शा तरमीम (दुरस्त) किया जावे। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी क्रम 7 बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम कवाई तहसील अटरू में स्थित होने से

माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्याय शुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जाए –

(अ) यह कि वाद पत्र की मद न. 3A में वर्णित वादीगण के खाते एवं कब्जे में खाता संख्या 345 की खसरा नं. 519 का रकबा 0.54 है, खसरा नं. 517 का रकबा 0.02 है, खसरा नं. 2756/518 का रकबा 0.16 है पूर्व दिशा की भूमि प्रार्थीगण/वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी तथा खाता संख्या 345 का खसरा नं. 343 का रकबा 0.46 है, खसरा न. 2756/518 का रकबा 0.16 है, पश्चिम दिशा की भूमि खसरा नं. 2755/518 का रकबा 0.05 हैक्टर भूमि अप्रार्थीगण कैलाश सिंह, शिवराज सिंह व दिनेश सिंह के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी। खाता संख्या 759 का खसरा नं. 2506/519 का रकबा 1.02 हैक्टर भूमि कुलदीप सिंह, संतोष सिंह के कब्जे काश्त में चली आ रही है। खाता संख्या 100 का खसरा नं. 2508/519 का रकबा 1.03 है, खाता संख्या 109 का खसरा नं. 2696/333 का रकबा 0.08 हैक्टर भूमि प्रतिवादी नरपत सिंह के कब्जे काश्त में चली आ रही होने से तदानुसार खातों को दुरुस्त करवा कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार कृषक घोषित करने की डिक्री पारित की जावे व नक्शे में तरमीम किया जावे

(ब) यह कि वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित वाद से संबंधित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है राजीनामा का विवरण निम्न प्रकार है—

वादीगण – गजेन्द्र सिंह, रघुवीर सिंह, शिवराज सिंह, हेमराज सिंह

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
345	519	0.54 हैक्टर
345	517	0.02 है0
345	2756 / 518	0.16 है0 (पूर्व दिशा)

प्रतिवादीगण – कुलदीप सिंह व संतोष सिंह

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
759	2506 / 519	1.02 हैक्टर

प्रतिवादीगण – कैलाश सिंह, दिनेश सिंह व शिवराज सिंह

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
345	2756 / 518	0.16 है0 (पश्चिम दिशा)
345	2755 / 518	0.05 है0
345	343	0.46 है0

प्रतिवादीगण – नरपत सिंह

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
100	2508 / 519	1.03 हैक्टर
109	2696 / 333	0.08 है0

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक कर वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पक्ष में राजीनामा अनुसार डिक्री पारित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाकर तदानुसार नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

राजीनामा पढकर सुनाया गया तथा सही होना स्वीकार किया वादीगण की पहचान श्री भगवान स्वरूप मंगल एड0 द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 की पहचान श्री विशाल चौधरी एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया तथा वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 ने स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू में खाता संख्या नया 759 पुराना 861 का ख0नं0 2506 / 519 का रकबा 1.02 है0 किस्म बारानी प्रथम आराजी वादीगण (गजेन्द्र सिंह पुत्र

मोहनसिंह हिस्सा 1/4, रघुवीर सिंह पुत्र मोहनसिंह हिस्सा 1/4, शिवराज सिंह पुत्र मोहनसिंह हिस्सा 1/4, हेमराज सिंह पुत्र मोहनसिंह हिस्सा 1/4) के नाम खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू में खाता संख्या नया 100 पुराना 368 का ख0नं0 2508/519 का रकबा 1.03 है0 किस्म बरानी प्रथम व ख0नं0 332 (ग्यारह बीघा वाला) रकबा 1.56 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.59 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 (कुलदीप सिंह पुत्र शम्भूसिंह हिस्सा 1/2) व प्रतिवादी क्रम 2 (संतोष सिंह पुत्र शम्भूसिंह हिस्सा 1/2) के नाम खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू में खाता संख्या नया 109 पुराना 368 का खसरा नं. 2507/519 का रकबा 0.83 है0 (पश्चिम के मध्य), ख.नं. 2696/333 का रकबा 0.0835 है0, ख.नं. 2697/333 का रकबा 0.1745 है0, ख.नं. 2729/537 का रकबा 0.4150 है0, ख.नं. 2730/537 का रकबा 0.6950 है0 व ख.नं. 2735/520 का रकबा 0.1240 है0 कुल किला 6 का रकबा 2.3220 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 3 (कैलाश सिंह पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/3), प्रतिवादी क्रम 4 (दिनेशसिंह पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/3) व प्रतिवादी क्रम 5 (शिवराजसिंह पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/3) के नाम खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है तथा ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू में खाता संख्या नया 345 पुराना 368 का ख.नं. 2722/540 का रकबा 0.7910 है0, ख.नं. 2723/540 का रकबा 0.33 है0, ख.नं. 2755/518 का रकबा 0.052 है0, ख.नं. 2756/518 का रकबा 0.32 है0, ख.नं. 314 का रकबा 0.19 है0, ख. नं. 343 का रकबा 0.46 है0, ख.नं. 517 का रकबा 0.02 है0 किस्म गै.मु. देवस्थान, ख.नं. 519 का रकबा 0.54 है0 कुल किता 8 का कुल रकबा 2.7030 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 6 (नरपतसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा पूर्ण) के नाम खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है।

प्रकरण के संबंध में तहसीलदार अटरू से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/2586 दिनांक 15.07.2025 से रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कवाई की आराजी ख0नं0 519 का रकबा 0.54 है, ख0नं0 517 का रकबा 0.02 है0 व ख0नं0 2756/518 का रकबा 0.16 है0 (पूर्व) पर गजेन्द्र सिंह, रघुवीर सिंह, शिवराज सिंह, हेमराज सिंह पुत्र मोहन सिंह व ख0नं0 2506/519 का रकबा 1.02 है0 आराजी पर कुलदीप सिंह, संतोष सिंह पुत्र शंभूसिंह, ख0नं0 2756/518 का रकबा 0.16 है0 (पश्चिम), ख0नं0 2755/518 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 343 का रकबा 0.46 है0 आराजी पर कैलाश सिंह, दिनेश

सिंह, शिवराज सिंह व ख०नं० 2508/519 का रकबा 1.03 है०, ख०नं० 2696/333 का रकबा 0.08 है० आराजी पर नरपत सिंह पुत्र भंवरसिंह मौके अनुसार कब्जा काश्त कर रहे है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, रिपोर्ट तहसीलदार व पेश राजीनामा के आधार वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### —:: क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम व माल कवाई के खाता संख्या 345 का खसरा नं. 519 का रकबा 0.54 है०, खसरा नं. 517 का रकबा 0.02 है०, खसरा नं. 2756/518 का रकबा 0.16 है० पूर्व दिशा की भूमि वादी क्रम 1 ता 4 (गजेन्द्र सिंह पुत्र मोहनसिंह, रघुवीर सिंह पुत्र मोहनसिंह, शिवराज सिंह पुत्र मोहनसिंह व हेमराज सिंह पुत्र मोहनसिंह) के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी। ग्राम व माल कवाई के खाता संख्या 345 का खसरा नं. 343 का रकबा 0.46 है०, खसरा नं. 2756/518 का रकबा 0.16 है० पश्चिम दिशा व खसरा नं. 2755/518 का रकबा 0.052 हैक्टर भूमि प्रतिवादी क्रम 3 कैलाश सिंह, प्रतिवादी क्रम 4 दिनेश सिंह व प्रतिवादी क्रम 5 शिवराज सिंह के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी। ग्राम व माल कवाई के खाता संख्या 759 का खसरा नं. 2506/519 का रकबा 1.02 हैक्टर भूमि प्रतिवादी क्रम 1 कुलदीप सिंह व प्रतिवादी क्रम 2 संतोष सिंह के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी। ग्राम व माल कवाई के खाता संख्या 100 का खसरा नं. 2508/519 का रकबा 1.03 है०, खाता संख्या 109 का खसरा नं. 2696/333 का रकबा 0.0835 हैक्टर भूमि प्रतिवादी क्रम 6 नरपत सिंह के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे। भूमि की किस्म गै०मु० देवस्थान का नोट जमाबन्दी में यथावत रहेगा। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार अटरू संबंधित के द्वारा बैंक के रहन का ऋण जमा कराये जाने के उपरान्त नियमानुसार नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 06/2025

दायर दिनांक: 27.02.2025

उनवान

1. गजेन्द्रसिंह आयु 56 वर्ष पुत्र मोहनसिंह जाति राव
2. रघुवीरसिंह आयु 54 वर्ष पुत्र मोहनसिंह जाति राव
3. शिवराजसिंह आयु 62 वर्ष पुत्र मोहनसिंह जाति राव
4. हेमराजसिंह आयु 48 वर्ष पुत्र मोहनसिंह जाति राव निवासीगण गढी चौक वार्ड नं. 3 कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज.) मो.न. 9587236926

वादीगण

बनाम

1. कुलदीप सिंह पुत्र शम्भूसिंह जाति राव निवासी गढी चौक वार्ड नं. 3 कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
2. सन्तोषसिंह पुत्र शम्भूसिंह जाति राव निवासी नाकोड़ा कालोनी बारां जिला बारां
3. कैलाश सिंह पुत्र रामसिंह उर्फ विजयसिंह जाति राव
4. दिनेशसिंह पुत्र रामसिंह उर्फ विजयसिंह जाति राव
5. शिवराजसिंह पुत्र रामसिंह उर्फ विजयसिंह जाति राव निवासीगण कवाई हाल निवासी बोरखंडी वार्ड नं. 19 पोस्ट नया नोहरा बारां रोड़ कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.)
6. नरपतसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राव निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां
7. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, अटरू तहसील अटरू जिला बारां

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 एल0 आर0 एक्ट व 88 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण :-विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल

प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री विशाल चौधरी

मिनजानित मुदई रुबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम व माल कवाई के खाता संख्या 345 का खसरा नं. 519 का रकबा 0.54 है0, खसरा नं. 517 का रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 2756/518 का रकबा 0.16 है0 पूर्व दिशा की भूमि वादी क्रम 1 ता 4 (गजेन्द्र सिंह पुत्र मोहनसिंह, रघुवीर सिंह पुत्र मोहनसिंह, शिवराज सिंह पुत्र मोहनसिंह व हेमराज सिंह पुत्र मोहनसिंह) के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी। ग्राम व माल कवाई के खाता संख्या 345 का खसरा नं. 343 का रकबा 0.46 है0, खसरा नं. 2756/518 का रकबा 0.16 है0 पश्चिम दिशा व खसरा नं.

2755/518 का रकबा 0.052 हैक्टर भूमि प्रतिवादी क्रम 3 कैलाश सिंह, प्रतिवादी क्रम 4 दिनेश सिंह व प्रतिवादी क्रम 5 शिवराज सिंह के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी। ग्राम व माल कवाई के खाता संख्या 759 का खसरा नं. 2506/519 का रकबा 1.02 हैक्टर भूमि प्रतिवादी क्रम 1 कुलदीप सिंह व प्रतिवादी क्रम 2 संतोष सिंह के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी। ग्राम व माल कवाई के खाता संख्या 100 का खसरा नं. 2508/519 का रकबा 1.03 है, खाता संख्या 109 का खसरा नं. 2696/333 का रकबा 0.0835 हैक्टर भूमि प्रतिवादी क्रम 6 नरपत सिंह के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे। भूमि की किस्म गै0मु0 देवस्थान का नोट जमाबन्दी में यथावत रहेगा। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार अट्रू संबंधित के द्वारा बैंक के रहन का ऋण जमा कराये जाने के उपरान्त नियमानुसार नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)  
उप खण्ड अधिकारी  
अट्रू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....  
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।  
मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 16.07.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अट्रू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी  
अट्रू जिला बारां (राज0)